भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1416
मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाना

1416. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
(ख) मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए कितनी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है;
(घ) सहकारी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों को कितना अनुदान दिया जा रहा है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को साकार करने हेतु, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर में सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने और सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न पहल किये हैं।

प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) की व्यवहार्यता बढ़ाने और उन्हें जीवंत आर्थिक इकाई बनाने तथा उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए, पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं जिससे पैक्स डेयरी, मत्स्य पालन, पुष्प-कृषि, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें, समुदायिक सिंचाई, बैंक मित्र गतिविधि सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करके अपनी व्यावसायिकता में विविधता ला सकें।

इसके अलावा, पैक्स को सशक्त करने के लिए, ₹2,516 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें सभी कार्यात्मक पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) पर आधारित

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना व उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है ।

सरकार ने पैक्स स्तर पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि-इंफ्रा बनाने की योजना को मंजूरी दी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण सुविधा होगी। इससे परिवहन लागत कम हो जाएगी और किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतें मिल सकेंगी और पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

सहकारिता मंत्रालय ने कई अन्य पहलें की हैं जिनका उद्देश्य सहकारी समितियों को कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करना, पंचायत/ग्राम स्तर पर ही ऋण और अन्य सेवाएं प्राप्त करना, उनके लिए कई और स्थिर राजस्व स्रोत उत्पन्न करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निगम, देश भर में किसान सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, सशक्त करने और विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनसीडीसी सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करता है, जिनका विवरण **अनुबंध- II** में संलग्न है।

(ख): राज्य द्वारा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में दर्ज आंकड़ों (06.12.2023 तक) के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में 51,702 सहकारी समितियाँ हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सहकारी समितियों की जिलावार संख्या का विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य में 29 बहुराज्य सहकारी समितियां हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-IV** में संलग्न है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए प्रदान की गई अनुदान राशि नीचे उल्लिखित है:

I. कृषिक सहकार पर केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) के तहत:

वित्तीय वर्ष	**अनुदान वितरित (करोड़ रुपये में)**
2020-21	373.65
2021-22	341.67
2022-23	376.93
कुल	**1,092.25**

इस योजना के तहत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने देश भर में सहकारी समितियों को सब्सिडी/अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की, जबकि राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने अनुदान का उपयोग सहकारी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किया।

II. <u>63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के तहत (वर्ष 2022-23 में इस परियोजना इसके शुरू होने के बाद से)</u>:

वित्तीय वर्ष	**अनुदान वितरित (करोड़ रुपये में)**
2022-23	395.00
2023-24	80.55
कुल	**475.55**

(घ): सहकारिता मंत्रालय ने हितधारकों को जागरूक करने के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय कार्यक्रम/सम्मेलन/जागरूकता सत्र आदि आयोजित किए हैं। सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों की सूची **अनुबंध-V** में संलग्न है।

(ङ): पिछले तीन वर्षों में जनजातीय सहकारी समितियों को एनसीडीसी के माध्यम से सीएसआईएसएसी योजना की जनजातीय उप-योजना के तहत प्रदान की गई अनुदान की कुल राशि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**अनुदान वितरित (करोड़ रुपये में)**
2020-21	32.08
2021-22	28.20
2022-23	4.30
कुल	**64.58**

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में जनजातीय सहकारी समितियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को जारी अनुदान की राशि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**अनुदान वितरित (करोड़ रुपये में)**
2020-21	170.74
2021-22	255.90
2022-23	135.27
कुल	**561.91**

*****

<u>**अनुलग्नक-I**</u>

सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपने गठन के बाद से, "सहकार-से-समृद्धि" की संकल्पना को साकार करने और देश में पैक्स से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची निम्नवत है:

क) प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. **पैक्स हेतु आदर्श (मॉडल) उपनियम जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्थाएं बनाते हैं**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से, पैक्स के लिए आदर्श (मॉडल) उपनियम तैयार करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किए हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करने में तथा अपने संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मॉडल उपनियमों को अब तक 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है।

2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण :** पैक्स को सुदृढ़ बनाने हेतु, 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें देश की सभी कार्यात्मक पैक्स को सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना सम्मिलित है। परियोजना के अंतर्गत 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 62,318 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं। सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और अब तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 5,673 पैक्स में परीक्षण शुरू हो गए हैं।

3. **अनाच्छादित पंचायतों में नई बहु-उद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य सहकारी समितियों का गठन:** सरकार द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय संघों के सहयोग से अगले पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए नई बहु-उद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 9,961 नई पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

4. **सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), आदि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए

गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों जैसे कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 1,711 पैक्स चिह्नित की गई हैं । वर्तमान में, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 13 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 13 पैक्स में निर्माण कार्य चल रहा है।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप मे पैक्स:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब तक 24,470 पैक्स द्वारा ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएँ प्रदान करते हुए अपनी आय बढ़ाने का कार्य शुरू किया जा चुका है।

6. **पैक्स के माध्यम से नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन**: सरकार द्वारा ऐसे ब्लॉक में जहां अभी तक एफपीओ का गठन नहीं हुआ है या वह ब्लॉक किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, एनसीडीसी के सहयोग से पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त एफपीओ बनाने की अनुमति दी गई है। यह किसानों को उनकी उपज के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य तथा आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान करने में सहायक होगा।

7. **खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट हेतु पैक्स को प्राथमिकता**: सरकार द्वारा खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के आवंटन हेतु पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) में शामिल करने की अनुमति दी गई है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 228 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने की अनुमति:** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ चर्चा के आधार पर, पैक्स की आय में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को खुदरा दुकानों में परिवर्तित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 5 राज्यों के 109 थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में रूपांतरण के लिए सहमति दी है, जिनमें से 43 पैक्स को ओएमसी से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुए हैं ।

9. **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता:** सरकार द्वारा पैक्स को एलपीजी वितरण हेतु आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का अवसर मिलेगा। झारखंड राज्य में दो स्थानों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच में सुधार हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र संचालित करने हेतु बढ़ावा दे रही है, जो उन्हें अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करेगा तथा ग्रामीण नागरिकों को जेनेरिक दवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। अब तक 4,289 पैक्स/ सहकारी समितियों द्वारा पीएम जनऔषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिनमें से 2,293 पैक्स को प्रारंभिक मंजूरी भी दे दी गई है।

11. **प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स :** सरकार देश में किसानों तक उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को पीएमकेएसके संचालित करने हेतु बढ़ावा दे रही है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 28,648 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।

12. **पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।

13. **पैक्स द्वारा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्लूएस) का संचालन एवं रखरखाव :** ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करते हुए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव (ओएंडएम) करने की अनुमति दे दी है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी तक 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायत/ ग्राम स्तर पर 1,381 पैक्स को ओएंडएम सेवाएं प्रदान करने हेतु चिह्नित किया गया है।

14. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** डेयरी तथा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को डीसीसीबी एवं एसटीसीबी का बैंक मित्र बनाया जा सकता है। व्यापार की सुगमता, पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु, इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से माइक्रो-एटीएम भी प्रदान किये जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए जा चुके हैं ।

15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक चल निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेन में सक्षम बनाने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (रुपे केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में 73,503 रुपे केसीसी वितरित किए जा चुके हैं।

16. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन (एफएफपीओ)**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु, एनसीडीसी द्वारा प्रारंभिक चरण में 69 एफएफपीओ का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्य पालन

विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को एफएफपीओ में बदलने का कार्य सौंपा है।

ख) <u>शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंको का सुदृढ़ीकरण</u>

17. यूसीबी को व्यापार विस्तार करने हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति: शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएँ) तक नई शाखाएँ खोल सकते हैं।

18. आरबीआई द्वारा यूसीबी को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति: यूसीबी द्वारा अब डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन बैंकों से जुड़े खाताधारक अब घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट, पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

19. सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति: सहकारी बैंक बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अब तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

20. यूसीबी को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समय सीमा बढ़ाई गई: आरबीआई द्वारा यूसीबी के लिए पीएसएल के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा दो साल अर्थात 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

21. यूसीबी के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित: सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने हेतु आरबीआई द्वारा एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

22. आरबीआई द्वारा ग्रामीण तथा शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की गई:

a. शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब 30 लाख रुपये से दोगुनी कर 60 लाख रुपये कर दी गई है।
b. ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।

23. ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी: इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि हाउसिंग सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

24. सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम किया गया: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थान भी प्री-प्रोडक्शन चरण के पहले तीन

महीनों में यह सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे । इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।

25. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को सीजीटीएमएसई योजना में सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए गए कर्ज पर 85 फीसदी तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।

26. **शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** वे यूसीबी जो 'वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित' (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बनाए हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

27. **गोल्ड लोन के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** आरबीआई द्वारा पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है ।

28. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** आरबीआई द्वारा यूसीबी क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) की स्थापना हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) को मंजूरी दे दी गई है, जिससे लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी अवसंरचना और संचालन में सहायता मिलेगी।

ग) <u>सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में राहत</u>

29. **1 से 10 करोड़ रूपये तक की आय वाली सहकारी समितियों का अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गया:** इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम पड़ेगा तथा काम के लिए उनके पास अधिक मात्रा में पूँजी उपलब्ध हो पाएगी, जिससे उनके सदस्यों को लाभ मिलेगा।

30. **सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों तथा कंपनियों के बीच इस मामले में समतुल्यता आ गई है ।

31. **अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में राहत:** सहकारी समितियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गए 2 लाख रूपये से कम के नकद लेनदेन को अलग समझा जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

32. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती: सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 31, 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगेगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा।

33. पैक्स एवं पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा राशियों व नकद ऋणों की सीमा में वृद्धि: सरकार द्वारा PACS और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी है। यह प्रावधान उनकी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा, उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा और उनके समाज के सदस्यों को लाभान्वित करेगा।

34. नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: सरकार द्वारा सहकारी समितियों के स्रोत पर कर कटौती किये बिना उनकी नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी, जिससे सहकारी समिति की तरलता में वृद्धि होगी।

घ) <u>सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान</u>

35. सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत: सरकार द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि अप्रैल, 2016 उपरान्त किसानों को उचित और लाभकारी या राज्य सलाहित मूल्य तक गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर सहकारी चीनी मीलों को अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा।

36. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान: सरकार द्वारा अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया गया है कि चीनी सहकारी समितियों को आंकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किये गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राहत मिली है।

37. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकारण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना: सरकार द्वारा इथेनॉल संयंत्र या सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से एक योजना शुरू की गई है। एनसीडीसी द्वारा अब तक, 24 सहकारी चीनी मिलों को 3,010 करोड़ रुपये की ऋण राशि की मंजूरी दी जा चुकी है।

38. सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल की खरीद में प्राथमिकता: इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत भारत सरकार द्वारा इथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को अब निजी कंपनियों के समतुल्य रखा गया है।

39. **शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया:** सरकार द्वारा शीरा पर जीएसटी मौजूदा 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सहकारी चीनी मिलें उच्च मार्जिन पर डिस्टिलरीज को शीरा बेचकर अपने सदस्यों के लिए अधिक मुनाफा कमा सकेंगी ।

ङ) <u>राष्ट्रीय स्तरीय तीन नई बहु-राज्यीय समिति</u>

40. **प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी बीज समिति**: सरकार द्वारा एकल ब्रांड के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु-राज्य भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की गई है । अब तक, 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 8,200 पैक्स/ सहकारी समितियों से सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

41. **जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी जैविक समिति:** सरकार द्वारा प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण एवं विपणन के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु- राज्यराष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) समिति की स्थापना की गई है। अब तक, 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों 2,475 पैक्स /सहकारी समितियों से सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। NCOL द्वारा अब तक 6 जैविक उत्पादों को लॉन्च किया जा चुका है।

42. **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु राज्यीय सहकारी निर्यात समिति:** सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु राज्य राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) समिति की स्थापना की गई है । अब तक, 22 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 2,625 पैक्स/ सहकारी समितियों से सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। NCEL को अभी तक, 16 देशों में 14.92 एलएमटी चावल और 2 देशों में 50,000 मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति मिल चुकी है ।

च) <u>सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण</u>

43. **सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, शोध एवं विकास तथा प्रशिक्षित श्रमबल की स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हेतु एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ।

44. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन:** एनसीसीटी द्वारा अपनी पहुँच बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

छ) <u>'व्यवसाय करने की सुगमता' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग</u>

45. **केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण:** बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो समयबद्ध तरीके से अनुप्रयोगों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करेगा।

46. **राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में आरसीएस के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु योजना:** सहकारी समितियों के लिए 'व्यवसाय करने की सुगमता' को बढ़ाने एवं सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पेपर रहित पारदर्शी विनियमन हेतु एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है । राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

47. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण**: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और एआरडीबी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्टवेयर विकसित करेगी। परियोजना के तहत हार्डवेयर, विरासत डेटा के डिजिटलीकरण के लिए सहायता, कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाएगा।

48. **प्रमाणिक एवं अपडेटेड डेटा संग्रहण के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:** नीति निर्माण और देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश की सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है । अब तक डेटाबेस में लगभग 7.86 लाख सहकारी समितियों का डेटा शामिल किया जा चुका है ।

49. **नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण**: सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई जा रही है, जिसके लिए देश भर से 49 विशेषज्ञों तथा हितधारकों को सम्मिलित करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है ।

50. **बहु-राज्यीय सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2023:** बहु राज्यीय सहकारी समितियों में शासन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता तथा जावाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया को बेहतर करने तथा 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को सम्मिलित करने हेतु एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन किए गए हैं।

51. **जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में सम्मिलित करना**: सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे दी है, जिससे वे लगभग 67 लाख से अधिक विक्रेताओं से किफायती दर पर एवं अधिक

पारदर्शिता के साथ सामान एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय कर सकते हैं । अब तक 559 सहकारी समितियाँ जेम पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड हो चुकी हैं ।

52. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की व्यापकता एवं गहनता बढ़ाने हेतु गतिविधियों का विस्तार**: एनसीडीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की हैं जैसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार'| वित्तीय वित्त वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी द्वारा 41,024 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है, जो 2021-22 में 34,221 करोड़ रुपये के वितरण से लगभग 20% अधिक है। भारत सरकार ने एनसीडीसी को निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के पालन के अधीन, सरकारी गारंटी के साथ ₹2000 करोड़ के बांड जारी करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, एनसीडीसी विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को सहकारी समितियों तक उनके दरवाजे तक पहुंचाने के उद्देश्य से 6 उत्तर पूर्वी राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में उप-कार्यालय स्थापित कर रहा है।

53. **एनसीडीसी द्वारा गहरे समुद्री ट्रॉलरों हेतु वित्तीय सहायता**: एनसीडीसी भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के समन्वय से गहरे समुद्र में ट्रॉलर से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी ने पहले ही महाराष्ट्र की मत्स्य पालन सहकारी समितियों के लिए 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 20.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है।

54. **सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड:** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उचित पहचान और उनकी जमा राशि और दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है।

*****

अनुलग्नक-II

एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

I. एनसीडीसी प्रायोजित योजनाएं

क) युवा सहकार - सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना: इस योजना का उद्देश्य नए और/या नवीन विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह एनसीडीसी द्वारा बनाए गए सहकारी स्टार्ट-अप और इनोवेशन फंड से जुड़ा है।

ख) आयुष्मान सहकार: इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक योजना है।

ग) नंदिनी सहकार: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करना है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं की ब्याज छूट के महत्वपूर्ण इनपुट को एकत्रित करेगा।

घ) डेयरी सहकार: यह ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित योजना है। इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी समितियों द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और/या विस्तार शामिल है।

ङ) डिजिटल सहकार: डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, एनसीडीसी ने डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा सहायता और क्रेडिट लिंकेज के लिए एक केंद्रित वित्तीय सहायता ढांचे की योजना तेयार की है, जो भारत सरकार / राज्य / केंद्रशासित प्रदेश से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ सम्मिलित है। / सहकारी समितियों के उद्देश्य वाली एजेंसियां डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

च) स्वयं शक्ति सहकार योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

छ) दीर्घकालिक कृषक पूंजी सहकार योजना: एनसीडीसी के दायरे में आने वाली गतिविधियों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम देने के लिए एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

II. एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य केंद्रीय योजनाएँ:

क) **कृषि अवसंरचना निधि योजना**–कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

ख) **भंडारण और भंडारण बुनियादी ढांचे के अलावा अन्य के लिए कृषि विपणन पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसएएम) की कृषि विपणन बुनियादी ढांचा (एएमआई) उप योजना**

ग) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)** - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

घ) **पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)** - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

ङ) **पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) का औपचारिकीकरण** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

च) **पीएम '10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन' योजना** - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

छ) **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) योजना** - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

(ब) <u>एनसीडीसी द्वारा सहकारी क्षेत्र के लिए किए गए कार्यकलाप</u>:

क) **विपणन**:

- मार्जिन मनी / कार्यशील पूंजी सहायता
- प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण
- फर्नीचर, फिक्सचर, प्रशीतित वैनों समेत परिवहन वाहनों की खरीद
- कृषि विपणन संरचना, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का विकास / सुदृढ़ीकरण

ख) **प्रसंस्करण** :

- नये चीनी कारखानों की स्थापना (निवेश ऋण)
- वर्तमान चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण तथा विस्तारण/विविधीकरण (निवेश ऋण तथा आवधिक ऋण)
- नई कताई मिलों की स्थापना / वर्तमान कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तारण/पुर्नस्थापना
- वर्तमान कपास जिन्निंग एवं प्रेसिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तारण तथा आधुनिक कपास जिन्निंग एवं प्रेसिंग इकाइयों की स्थापना
- लघु एवं मध्यम आकार की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक प्रसंस्करण इकाइयाँ/प्रि/पोस्ट लूम प्रसंस्करण / गार्मेंट एवं बुनाई इकाइयों।
- खाद्यान्न/तिलहन/बागानी फसलें / फल एवं सब्जी / मक्का स्टार्च/पार्टिकल बोर्ड आदि जैसी अन्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- मार्जिन-मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।
- नई कताई मिलों में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी सहभागिता

ग) **भंडारण** :

- गोदामों का निर्माण तथा वर्तमान गोदामों की मरम्मत / नवीकरण

- मार्जिन-मनी / कार्यशील पूंजी सहायता।

घ) **शीत श्रृंखला** :
- शीत भंडारों का निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण
- शीत श्रृंखला के अवयवों की स्थापना जिसमें मुख्यतः शामिल हैं (i) एकीकृत पैक हाउस, (ii) परिवहन से संबंधित (iii) शीत भंडारण (फार्म गेट के पास थोक रूप में) (iv) शीत भंडारण (बाजार के पास हब रूप में) और (v) राइपनिंग यूनिट (पकाने के लिए इकाईयां / सामग्री) इत्यादि ।
- मार्जिन -मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।

ङ) **सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण**:
- संरचनाओं जैसे शॉपिंग केन्द्रों, डीजल / केरोसिन बंक एवं भंडारों तथा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों, विभागीय उपभोक्ता भंडारों एवं उपभोक्ता संघों का नव निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण ।
- उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु फर्नीचर फिक्सचर, प्रशीतित वाहनों समेत यातायात वाहनों की खरीद ।
- मार्जिन-मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।

च) **औद्योगिक**:
- सभी प्रकार की औद्योगिक सहकारिताएं, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प/ग्रामीण शिल्प आदि।

छ) **ऋण एवं सेवा सहकारिताएं / अधिसूचित सेवाएं**:
- कृषि ऋण/कृषि बीमा
- जल संरक्षण कार्य / सेवाएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई
- पशु देखभाल / स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम।
- सहकारिताओं के जरिए ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी, मल-जल व्ययन।
- पर्यटन, आतिथ्य, यातायात
- नये, गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं वितरण।
- ग्रामीण आवास
- अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा
- ऋण सहकारी समितियों के लिए संरचना का सजून

ज) **सहकारी बैंकिंग इकाई**:
- आधुनिक बैंकिंग इकाईयों से संबंधित संरचना निर्माण के लिए पैक्स को सहायता

झ) **कृषिक सेवाएं**:
- सहकारी कृषक सेवा केन्द्र
- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि सेवा केन्द्र।

- कृषिक निवेश, विनिर्माण एवं संबद्ध इकाइयों की स्थापना।
- सिंचाई / जल संग्रहण कार्यक्रम।

ञ) **जिला क्षेत्रक योजना स्कीमें** :

- चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

ट) **कमजोर वर्गों की सहकारी समितियां**:

- मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु० जा०, जन जातीय सहकारिताएं, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, महिला, पर्वतीय क्षेत्र, तंबाकू तथा श्रम सहकारिताए।

ठ) **सहकारिताओं के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता** :

- कंप्यूटरों की खरीद/संस्थापना, हार्डवेयर, सिस्टम व सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, अनुरक्षण लागत, तकनीकी जन शक्ति, विकासात्मक क्षमता एवं प्रशिक्षण आदि हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

ड) **संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम** :

- अध्ययन / परियोजना रिपोर्ट, प्रबंधन अध्ययन हेतु परामर्शन
- बाजार सर्वेक्षण एवं कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन।

अनुलग्नक-III

मध्य प्रदेश राज्य में जिले-वार सहकारी समितियों की संख्या		
क्र.सं	**ज़िला**	**सहकारी समितियों की कुल संख्या**
1	आगर मालवा	659
2	अलीराजपुर	560
3	अनुपपुर	503
4	अशोकनगर	358
5	बालाघाट	975
6	बड़वानी	1320
7	बैतूल	1078
8	भिंड	763
9	भोपाल	1713
10	बुरहानपुर	731
11	छतरपुर	1215
12	छिंदवाड़ा	1117
13	दमोह	791
14	दतिया	628
15	देवास	1493
16	धार	2107
17	डिंडोरी	540
18	खंडवा (पूर्वी निमाड़)	782
19	गुना	656
20	ग्वालियर	1486
21	हरदा	509
22	इंदौर	3577
23	जबलपुर	1660
24	झाबुआ	497
25	कटनी	409
26	खरगोन	1269

27	मंडला	920
28	मन्दसौर	1053
29	मुरैना	1156
30	नर्मदापुरम	1282
31	नरसिंहपुर	769
32	नीमच	665
33	निवाड़ी	159
34	पन्ना	525
35	रायसेन	1048
36	राजगढ़	1738
37	रतलाम	741
38	रीवा	965
39	सागर	1499
40	सतना	1351
41	सीहोर	1091
42	सिवनी	836
43	शहडोल	766
44	शाजापुर	874
45	श्योपुर	590
46	शिवपुरी	1263
47	सीधी	474
48	सिंगरौली	940
49	टीकमगढ़	733
50	उज्जैन	1624
51	उमरिया	276
52	विदिशा	968
	कुल	**51702**

अनुबंध-IV

मध्यप्रदेश में बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सूची

क्र.	सोसायटी का नाम	पता	क्षेत्र
1	मनसा डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	41 सुखसागर, फेज 4 कॉलोनी, मित्तल कॉलेज के पास, रसल, खरोद भोपाल 38, मध्य प्रदेश	कृषि
2	चंबल कृषि विपणन सहकारी लिमिटेड	525, राजपूत नगर, भरौली रोड, भिंड, मध्य प्रदेश 477001	विपणन
3	शारदा कृषि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	एचबी 79, अभिरुचि परिसर, पुराना सुभाष नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	कृषि
4	ग्रेसियस मल्टी स्टेट एग्रोकोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	54, मिश्रीलाल नगर, ए.बी. रोड, देवास-455001 (मध्य प्रदेश)	कृषि
5	मास्टरटेक मल्टी स्टेट ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	सी / ओ संजयमिश्रा, राजोरिया वाला रोड, महावीरपुरा, जवाहरगंज डबरा, जिला- ग्वालियर, पिन.475110 मध्य प्रदेश	हाउसिंग
6	आरकेआर (राधे कृष्ण राधे) एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	पहली मंजिल, वर्टेक्स विपणन के ऊपर, किसान बजाज से गाँव फाटा के पास, बड़वानी, मध्यप्रदेश 451551	कृषि
7	अर्थ विनायक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	मकान सं. 328, शिवधाम, गल्ला मंडी के पास, रायगढ़, मध्य प्रदेश 465661	हाउसिंग
8	स्काई टच कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड,	मकान संख्या 23, घाटकरपार मार्ग, तीसरी मंजिल, विक्रम पुस्तकालय के सामने, फ्री गंज उज्जैन, मध्य प्रदेश 456 010	हाउसिंग
9	सकार शक्ति एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	80, स्टेशन रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001	कृषि
10	जन सहारा मल्टीस्टेट कृषि पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	201-ई, दूसरी मंजिल, कॉर्पोरेट जोन, सी21 मॉल, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल, 462026 मध्यप्रदेश	कृषि
11	कर्तव्य एग्रोटेक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	39, शांति नगर, बरखेड़ा पठानी, भेल, भोपाल-462022, मध्य प्रदेश	कृषि
12	क्रिएटिव इंडिया मल्टीस्टेट कृषि पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	मकानसं.176, बहीबगंज नाका के पास, नारायणनगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462026, मध्य प्रदेश	कृषि
13	किसान भारती एग्रो पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने, राजपायगा रोड, नया बाजार, लस्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	कृषि
14	सैक्रामेंट मल्टीस्टेट एग्रोपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	न्यू किशन बाग बड़ारोड, बोहोदापुर, ग्वालियर-474010, मध्य प्रदेश	कृषि

15	सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड	195, जोन-1, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462011	बहुउद्देशीय
16	स्वराज इंडिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	15-ए, कालानीबाग, देवास, -456001, मध्य प्रदेश	बहुउद्देशीय
17	चंबल मालवा मल्टी स्टेट ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	वार्ड नंबर 25, गली नंबर 1, गायत्री कॉलोनी, पिंक पार्क, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	ऋण
18	नवकेतन कृषि विपणन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	प्लॉट नंबर जेड-9, गुरुनानक भवन, एम पी नगर, जोन-1, भोपाल-462011, मध्य प्रदेश	विपणन
19	डीजीआर ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	8, पत्रेकर कोलोन्यू, लिंक रोड, 3, भोपाल, मध्य प्रदेश	ऋण
20	सनशाइन ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	भोपाल, मध्य प्रदेश	ऋण
21	एडीवी ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	221-222 इंद्रप्रस्थ टॉवर, 6 एमजी रोड, इंदौर 452001 मध्य प्रदेश	ऋण
22	बी.एच.ई.ई. थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	बचत भवन, सेक्टर-ए, पिपलानी, भोपाल, मध्य प्रदेश	ऋण
23	सरदार वल्लभभाई पटेल मल्टी स्टेट फूड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड,	पहली मंजिल, 7ए/2, एमजी रोड, अहिंसा टावर के पीछे की गली, इंदौर-452 001 (मध्यप्रदेश)	कृषि
24	मल्टी स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,	401, उदयगिरी अपार्टमेंट्स, भास्कर लेन, जयंद्रुगंज, ग्वालियर भोपाल (एमपी)	औद्योगिक/ कपड़ा
25	भारतीय स्टेट बैंक (भोपाल सर्किल), अधिकारी सहकारी साख समिति मर्यादित।	सी / ओ भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.) पिन कोड-462003	ऋण
26	भारतीय स्टेट बैंक (भोपाल सर्किल), कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित।	भारतीय स्टेट बैंक (भोपाल सर्किल) कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित भोपाल सी / ओ भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय मेजेनाइन तल होशंगाबाद रोड भोपाल-462011	ऋण
27	नॉन रेसीडेंट इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (एनआरआई-सीएचएस) लिमिटेड,	इयोन चैंबर, 2, मालवीय नगर, राजभवन रोड, भोपाल	हाउसिंग
28	कामधेनु डेयरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	ग्वालियर, मध्यप्रदेश	डेयरी
29	जवाहरलाल नेहरू सहकारी मिल लिमिटेड,	जलवानिया रोड, खरगोन, म.प्र.	औद्योगिक/ कपड़ा

******

अनुबंध-V

मानीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के अब तक सम्मेलनों/कार्यक्रमों का विवरण

क्र. सं.	विषय	सम्मेलन/कार्यक्रम की तिथि
1.	राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, दिल्ली	25 सितंबर, 2021
2.	सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन, लखनऊ	17 दिसंबर, 2021
3.	सहकार परिषद और कृषि सम्मेलन 'लोनी, महाराष्ट्र	18 दिसंबर, 2021
4.	राज्य सहकारिता सम्मेलन, बेंगलुरु	01 अप्रैल, 2022
5.	NCDFI's का स्वर्ण जयंती समारोह, गांधीनगर	10 अप्रैल, 2022
6.	आदर्श सहकारी ग्राम कार्यक्रम, अहमदाबाद	10 अप्रैल, 2022
7.	सहकारी नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन, दिल्ली	12 अप्रैल, 2022
8.	सहकार से समृद्धि' सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात	28 मई, 2022
9.	पंचामृत डेयरी की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, गोधरा, गुजरात	29 मई, 2022
10.	VC के माध्यम से सहकारी शिक्षण भवन का शिलान्यास, भरूच, गुजरात	03 जून, 2022
11.	NAFCUB और सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव	23 जून, 2022
12.	NCUI द्वारा आयोजित सहकारिता का 100 वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस	4 जुलाई, 2022
13.	ARDBs का राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली	16 जुलाई, 2022
14.	GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग का ई-लॉन्च	09 अगस्त, 2022
15.	ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली	12 अगस्त, 2022
16.	NAFED द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन	22 अगस्त, 2022
17.	राज्य के सहकारिता मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन	08 सितंबर, 2022
18.	वर्ल्ड डेयरी समिट-2022, ग्रेटर नोएडा	12 सितंबर, 2022

19.	KRIBHCO हजीरा, सूरत में बायो-इथेनॉल परियोजना की आधारशिला	14 सितंबर, 2022
20.	सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव, गंगटोक	07 अक्तूबर, 2022
21.	'सहकार लाभर्थी सम्मेलन', बेंगलुरु	30 दिसंबर, 2022
22.	इफको नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला, देवघर (झारखंड)	04 फरवरी, 2023
23.	CAMPCO का स्वर्ण जयंती समारोह, पुत्तर, कर्नाटक	11 फरवरी, 2023
24.	HAFED, करनाल की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास	14 फरवरी, 2023
25.	केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का भाषण दैनिक सकाल का कोऑपरेटिव महाकॉन्क्लेवपूणे, महाराष्ट्र	18 फरवरी.2023
26.	49 डेयरी उद्योग सम्मेलन	18 मार्च.2023
27.	सहकार समृद्धि सौंध का शिलान्यास, बेंगलुरु	24 मार्च 2023
28.	एमपीएसी और अन्य परियोजनाओं के कम्प्यूटरीकरण का उद्घाटन, हरिद्वार	30 मार्च 2023
29.	इफको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ सम्मेलन, नई दिल्ली	26 अप्रैल, 2023
30.	NCUI के बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ सम्मेलन, नई दिल्ली	14 जून, 2023
31.	NCUI का 17th भारतीय सहकारी महासम्मेलन, नई दिल्ली	01 जुलाई, 2023
32.	NABARD का 42वें स्थापना दिवस सम्मेलन, नई दिल्ली	12 जुलाई, 2023
33.	'सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ' एनसीडीसी द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी, नई दिल्ली	14 जुलाई, 2023
34.	सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली	18 जुलाई, 2023
35.	PACS द्वारा CSC सेवाओं का शुभारंभ, विज्ञान भवन, नई दिल्ली	21 जुलाई, 2023
36.	सहारा रिफन्ड पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को राशि का अंतरण, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली	04 अगस्त, 2023

37.	सहकारिता मंत्रालय, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ, पुणे, महाराष्ट्र	06 अगस्त, 2023
38.	इफको नैनो डीएपी (तरल) संयंत्र कांडला, गुजरात का भूमि पूजन एवं शिलान्यास	12 अगस्त, 2023
39.	कृभको, निदेशक मंडल की संबोधन बैठक, कृभको भवन, नोएडा	18 अगस्त, 2023
40.	नैफेड, निदेशक मंडल की संबोधन बैठक, नई दिल्ली	24 अगस्त, 2023
41.	सहकार किसान सम्मेलन, गंगापुर, राजस्थान	26 अगस्त, 2023
42.	समीक्षा बैठक, उत्तराखंड	07 अक्तूबर, 2023
42.	NAFCUB एवं शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मा. गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का अभिनंदन एवं धन्यवाद, भारत मंडपम्, नई दिल्ली।	12 अक्तूबर, 2023
43.	NCEL द्वारा आयोजित सहकारी क्षेत्र द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को सम्बोधन	23 अक्टूबर, 2023
44.	BBSSL द्वारा आयोजित सहकारी क्षेत्र द्वारा प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं संवर्धन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को सम्बोधन	26 अक्टूबर, 2023
45.	NCOL द्वारा सहकारी क्षेत्र के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, पूसा, नई दिल्ली।	08 नवंबर, 2023

*****